जनसत्ता

दो-टूक संदेश

अब साफ हो गया है कि कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान ही आपसी बातचीत से कश्मीर सहित सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर अब कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। फ्रांस के शहर बिआरित्ज में सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में कश्मीर को लेकर बात हुई और यह साफ हो गया कि अमेरिका कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। दरअसल, कश्मीर मसले पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिका जिस तरह के बयान देता रहा है, वे भारत को असहज स्थिति में डालने वाले रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। ऐसे में फ्रांस में ट्रंप और मोदी के बीच जो बात हुई और कश्मीर को लेकर भारत ने जिस तरह से अपना रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया है उससे इतना तो तय है कि मध्यस्थता को लेकर अब कोई भी आसानी से ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा।

अगर कोई देश या तीसरा पक्ष कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के शिगूफे छोड़ता है या इस अति-गंभीर मसले पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात करता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। भारत हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और इस पर वह तीसरे पक्ष को दखल देने की अनुमति नहीं देगा। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देश ही संवाद के जरिए इसे सुलझाएंगे। यही संदेश भारत ने सोमवार को फ्रांस में ट्रंप के साथ बातचीत के बाद दिया। दरअसल, मध्यस्थता को लेकर पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर बखेड़ा कर दिया था। ट्रंप ने वाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में यह कह दिया था कि भारत ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने को कहा है। इसके बाद भारत ने ट्रंप के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसका खंडन किया था और दो-टूक कहा कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात नहीं की।

दक्षिण एशिया में शांति के प्रयासों की आड़ में अमेरिका अपनी चौधराहट बनाए रखना चाहता है। उसके इस रुख की पुष्टि पिछले हफ्ते एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के इस बयान से होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निष्क्रिय करने का भारत सरकार का फैसला उसका आंतरिक मामला है लेकिन इस फैसले से भारत के सीमाई इलाकों में जो असर पड़ रहा है वह चिंता की बात है, इसलिए हम दशकों से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव वाले मुद्दों पर सीधी बात होनी चाहिए। भारत साफ कह चुका है कि पाकिस्तान से कोई भी बात तब तक नहीं होगी जब तक वह सीमापार आतंकवाद बंद नहीं करता। पुलवामा हमले के बाद तो भारत ने और कड़ा रुख अपनाया है। सवाल तो यह है कि अमेरिका कश्मीर की ताजा स्थिति को लेकर परेशान क्यों है? हकीकत तो यह है कि सीमाई इलाकों में या घाटी में जो तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, यह किसी से छिपा भी नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि जो नसीहतें वह भारत को दे रहा है और उससे उम्मीदें कर रहा है, उसके साथ ही पाकिस्तान पर भी तो सीमापार आतंकवाद बंद करके भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दबाव बनाए।

सिंधू का तोहफा

पुसरला वेंकटा सिंधू के पास इतिहास रचने की क्षमता तो हमेशा से रही है लेकिन रविवार को स्विटजरलैंड के शहर बासेल में उन्होंने अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा कर अपने इस संकल्प को हकीकत में बदल डाला और भारत के इतिहास में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। पदक हासिल करने से ज्यादा बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात यह देखने की है कि वे पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से खेलीं और पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले इस बार किस तरह की रणनीति अपनाई। सिंधू ने यह साबित कर दिखाया है कि उनमें कोर्ट पर आलराउंड प्रदर्शन करने की गजब की काबिलियत है। अपने गेम में शुरू से ही हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने मैच पर पकड़ बनाए रखी और ओकुहारा को एक बार भी हावी नहीं होने दिया। सिंधू ने इस टूर्नामेंट के हर मैच में शीर्ष रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों- बी वैन जैंग (अमेरिका), ताई जू यिंग (ताइवान) और चेन यू फी (चीन) को हरा कर अपना लोहा मनवाया।

सिंधू की कभी हार न मानने वाली सोच और कोर्ट पर कड़ी मेहनत से सामने वाले को चित करने की क्षमता ने ही उनको यह पदक दिलवाया। 2017 में ओकुहारा ने ही ग्लासगो में हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधू को हराया था। इसी जीत के साथ सिंधू ने अब चीन की जेंग निंग की बराबरी कर ली है जिन्होंने छह बार खेल में भागीदारी कर पांच मैडल जीते थे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इस रेकार्ड के साथ ही सिंधू के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि यह दर्ज हो गई कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सारे पदक जीतने वाली वे चौथी एकल महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हालांकि पूर्व में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक से चूक जाने की पीड़ा सिंधू को हमेशा रही और इसके लिए उन्हें आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंटरव्यू में इसे लेकर उन पर सवाल भी दागे जाते रहे। पर रविवार को हम सबने सिंधू को उनके करिश्माई खेल से एक नए रूप में स्थापित होते देखा है। किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि वह अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें स्वर्ण पदक जीतने का तोहफा दे! इसीलिए सिंधू के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा।

आखिर सिंधू ने ऐसा क्या नया किया कि हर बार की तरह वे फाइनल में डगमगाए बिना सफलतापूर्वक अपने दबाव को काबू में रख पाईं! काफी हद तक इसका श्रेय उनकी फिटनेस को जाता है। उनके भीतर की इसी ताकत ने उन्हें क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले का सामना करने और एक मुश्किल मैच को काबू में करने की हिम्मत दी। सिंधू ने अपने खेल में बदलाव करते हुए तौरतरीके बदले हैं और सुरक्षित खेलने की प्रवृत्ति से अलग हटते हुए मैच में शुरू से ही सामने वाले पर आक्रामक रुख अपनाने की शैली विकसित की है। इसके अलावा उन्होंने पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा भी है। इस बार सिंधू ने शुरू से ही अपनी नई रणनीति अपनाई थी और उनका जोर शटल को कोर्ट के पीछे तक पहुंचाने पर ही बना रहा। इस रणनीति ने काफी हद तक उन्हें स्वर्ण पदक तक पहुंचाने में मदद की। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित सिंधू ने 2016 के रियो ओलिंपिक में रजत पदक जीतने के बाद से अब तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा है। 2017 के आखिर में उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखते हुए इंडियन ओपन सुपर सीरीज भी अपने नाम की थी। सिंधु की यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

कल्पमेधा

छोटी-छोटी बातों से पूर्णता प्राप्त होती है
और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं।
-माइकल एंजेलो

प्लास्टिक कचरे से बढ़ता संकट

संजय ठाकुर

हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है उन राज्यों में इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत इसका विकल्प सामने लाने की थी। लेकिन राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी का नतीजा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।

भारत में प्लास्टिक कचरे का निबटान एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ये समस्या अब और ज्यादा विकराल इसलिए हो रही है कि कई कंपनियां और पुनर्चक्रण इकाइयां चोरी-छिपे विदेशी प्लास्टिक कचरे का आयात कर रही हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक हर साल एक लाख इक्कीस हजार टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित पच्चीस से ज्यादा देशों से भारत लाया जा रहा है। पचपन हजार टन प्लास्टिक कचरा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही आ रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अट्ठाईस हजार आठ सौ छियालीस टन, दिल्ली में उन्नीस हजार पांच सौ सत्रह टन और महाराष्ट्र में उन्नीस हजार तीन सौ पचहत्तर टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा आयात किया जा चुका है।

विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा आयातक देश चीन ने चौबीस श्रेणियों के ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारत में प्लास्टिक कचरे का आयात और बढ़ गया। चीन के बाद मलेशिया, वियतनाम और थाइलैंड सहित कई अन्य देशों में भी प्लास्टिक कचरे के आयात पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे भारत की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हालांकि भारत सरकार ने देश के खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन और आयात से जुड़े नियमों (हैजारड्स एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबॉउंडरी मूवमेंट रूल्स, 2015) को संशोधित करके एक मार्च, 2019 को ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन इसमें खामियों के चलते भारत में प्लास्टिक कचरे के आयात की छूट मिल रही है। ऐसी छूट के चलते इस्तेमाल की गईं पॉलीऐथिलीन टेरेफ्थैलेट प्लास्टिक बोतलों को महीन कचरे के रूप में आयात किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिदिन पच्चीस हजार नौ सौ चालीस टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है जिसमें से चालीस प्रतिशत फिर से इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। कुल प्लास्टिक कचरे का छठा हिस्सा भारत के साठ बड़े शहरों में पैदा होता है जिसमें से अकेले दिल्ली में रोजाना छह सौ नवासी टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। देश में हर साल सबसे ज्यादा चार लाख उनहत्तर हजार अठानवे टन प्लास्टिक कचरा महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद गुजरात (दो लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौरानवे टन), दिल्ली (ढाई लाख टन), तमिलनाडु (एक लाख पचास हजार तीन सौ तेईस टन), उत्तर प्रदेश (एक लाख तीस हजार सात सौ सतहत्तर टन) और कर्नाटक (एक लाख उनत्तीस हजार छह सौ टन) का नंबर आता है। सबसे कम (तेरह टन सालाना) प्लास्टिक कचरा मेघालय में होता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (साढ़े चौदह टन), मणिपुर (तीस टन), गोवा (एक सौ छह टन) और उत्तराखंड (तीन हजार सोलह टन) का स्थान आता है। सबसे ज्यादा घातक स्थिति तो यह है कि प्लास्टिक कचरे का उचित रूप से निपटान न होने से हर साल अस्सी लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र में जा रहा है।

धरती में घुलनशील प्लास्टिक के दस मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो ने अधिसूचना जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन करवाने के लिए कई समितियां और कार्यबल बनाए हैं। ऐसे कानूनों और नियमों को कड़ाई के साथ लागू न किए जाने से प्लास्टिक कचरा अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

देश के कई राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फरमान तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन इन राज्यों की सरकारों के ढुलमुल रवैए और नीति-निर्माण के स्तर की खामियों से इसके इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी दस्तावेजों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक पर रोक लगाने वाले राज्यों में सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड,

गोवा, कोलकाता, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और बिहार शामिल हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात, केरल, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में भी आंशिक रूप से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जबकि तेलंगाना, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अभी भी कोई रोक नहीं है।

हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है उन राज्यों में इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत इसका विकल्प सामने लाने की थी। लेकिन राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी का नतीजा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह कि लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक नहीं किया गया, इसीलिए लोग बिना किसी डर के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी रोक के लिए उस प्लास्टिक पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत थी जो कई तरह के सामान की पैकिंग में उपयोग किया जाता है। इसमें दूध, मक्खन, तेल, घी, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे और डिटर्जेंट पाउडर जैसे सामान हैं।

प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए इस संबंध में बनाए गए कानूनों को भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इस कारण लोग बेरोकटोक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक पर रोक के फैसले के समय विभिन्न राज्यों की सरकारों ने मौजूदा प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई। प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी में न घुलने के कारण भूमि में जाकर जल को भूमि में शोषित होने से रोकता है। इससे भूमि की उर्वरा-शक्ति कम होती है। प्लास्टिक को सही तरीके से नष्ट न किए जाने से प्लास्टिक में मौजूद रसायन भूमि में चले जाते हैं और मिट्टी तथा भूमिगत जल को विषैला कर देते हैं। प्लास्टिक का सही निपटान न होने से जल निकास प्रणाली में अवरोध पैदा हो जाते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। जल-जनित रोगों का यह भी एक बड़ा कारण है। प्लास्टिक को मिट्टी में घुलनशील बनाने के लिए इसमें मिलाए गए रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक के निर्माण में अल्प अस्थिर प्रकृति के अम्ल और अल्कोहल के रूप में बने कार्बोनेट ऐस्टर नामक रसायन और कैडमियम व जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों से मिल कर कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां, हृदय के आकार का बढ़ना और मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पॉलीऐथिलीन, पॉलीप्रोपीलीन और टेरेफ्थैलेट प्लास्टिक के विभिन्न रूप हैं जो सूक्ष्म कणों के रूप में वायु, जल और भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करके प्रतिरोधी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार कर सुदृढ़ नीति व कारगर कार्ययोजना तैयार करनी होगी और कड़े कानून बना कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। सरकार को प्लास्टिक का आयात पूरी तरह बंद करके विभिन्न कंपनियों और पुनर्चक्रण-इकाइयों पर कड़ी नजर रखनी होगी।

बादल राग

मेधा

अशोक, नीम, सप्तपर्णी, गुलमोहर- सारे ही वृक्ष नृत्यरत होते हैं। उनके पत्तों के झूमर पड़ने से एक अलग किस्म का संगीत उत्पन्न होता है। आसमान से बूंदें उतरती रहती हैं और धरती को सोंधा करती हैं। छज्जे से टापर-टुपर की आवाज जिंदगी की बेहद पहचानी-सी धुन है। यही धुन तो बचपन से लेकर आज तक बदली नहीं है। अचानक ही यह गीत होठों पर तैर जाता है- 'बृष्टि पड़े टापर-टुपर...'। पेड़ों की डालियां आगे बढ़-बढ़ कर मानो मेरी बाहें पकड़ मुझे अपने साथ झूमने का न्योता देती हैं। रह-रह कर शीतल बयार का प्यार आत्मा को तृप्त करता रहता है। अपने पीछे के लैम्प-पोस्ट की आभा में झिलमिलाता सप्तपर्णी किसी स्वप्नद्रष्टा दार्शनिक की मुस्कान लगती है। अंधेरे की ओट लिए धरती की एक झलक को व्याकुल आसमान पर रहम कर बिजली बार-बार धरती का दीदार करवाती है। रह-रह कर गरजते बादल जैसे मुनादी करते हों कि प्रकृति का यह सारा लाव-लश्कर मेरे ही दम से है। छज्जे पर बनती बूंदों की झालर रात का शृंगार करती हैं।

जीवन-रस में डूबे मेरे मन को सहसा खयाल आया कि गांव में बूंदों की गति और मोटाई के अनुसार बारिश को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, वे सारे नाम बहुत ही मजेदार होते थे। उनकी ध्वनि में एक तरह का सुरीला खिलंदड़पन था। पतली और कमसिन-सी बूंदों वाली बारिश को दादी कहती थीं 'झिसी-फुसी' पड़ रहा है। जाने क्यों लग रहा, अभी दौड़ कर गांव जाऊं और सारे नाम पता कर वैसी ही बूंदों को खोजने निकल जाऊं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश, बादल, गांव, बचपन, दादी- सब इस एक क्षण में एक साथ साकार हो रहे हैं। यह जो क्षण है, यही सच है।

दुनिया मेरे आगे

सावन के हरियाए मन ने हृदय से सूखे सारे रंगों को देशनिकाला दे दिया है। गांव के पीपल-बाबा की मजबूत डालियों पर लगे झूलों पर पेंग भरता बचपन यहां तक आ पहुंचा है। दरअसल, सावन का महीना मुझे बारहों महीनों में सबसे अलग लगता है। उम्मीद की हरियाली से सजी धरती, बाहर-भीतर के मैल को धोकर मन और तन को निर्मल करते बादल। दूर बसे साजन के संदेश सुनाते बादल। हां, वह पिया जो हृदय के सात पर्दों के पार बसा है... जो कभी-कभार झलक दिखा कर छिप जाता है। फिर सदियों का इंतजार दे जाता है। वह निष्ठुर, निर्मम पिया, जिस तक अतल हृदय की गहराई से उठती पुकार भी नहीं पहुंच पाती, वैसे रूखे पिया को भी सावन के नीर निर्मल कर देते हैं। इस मौसम में बाहर जितना बादल बरसता है, भीतर विरह की अग्नि उतनी भड़क उठती है।

इसीलिए विभिन्न परंपराओं के 'बारहमासा' में सावन का बहुत महातम्य है। बुल्ले शाह ने यों ही नहीं लिखा- 'सावन सोहे मेघला घट सोहे करतार/ ठौर-ठौर इनायत बसे पपीहा करे पुकार।' सभी सूफी संतों के यहां 'बारहमासा' का बहुत महत्त्व है और इसमें बारिश के माह का और खासतौर पर सावन का। जायसी के महाकाव्य 'पद्मावत' में विरह का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर कतई नहीं होता अगर उसमें रत्नसेन की पहली पत्नी नागमति के वियोग खंड में बारहमासा के अंतर्गत सावन माह में नागमति की विरह-वेदना की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति जायसी ने न की होती। प्रकृति की उत्सवधर्मिता, उसका सौंदर्य विरह की ज्वाला को तीव्र से तीव्रतर कर देता है।

अपनी सोच में डूबती-उतराती मैं तब जाकर चेतन हुई जब हाल में बादलों की एक पुकार ने मेरा ध्यान खींचा। कालिदास ने 'मेघदूत' में जिन बादलों के चित्र रचे हैं, वे भी तो इसी आसमान से उपजे होंगे। सहसा मन रोमांचित हो उठा कि आह... मैं वही आसमान देख रही हूं, जिसे निरखते हुए कालिदास ने 'मेघदूत' लिखा था। 'मेघदूत' की स्मृति में डूबे नयन देख रहे हैं... सावन के महीने में हर तरफ प्रकृति की इनायत बरस रही है। ऐसे में 'पी' से मिलन की चाह भी बढ़ जाती है। वह 'पी', जो पति हो सकता है, प्रेमी, गुरु या वह भी जो सब प्रेमियों का प्रेमी और सब गुरुओं का गुरु है।

कालिदास नहीं हैं। जायसी भी नहीं हैं और बुल्ले शाह भी नहीं हैं। लेकिन आसमान अब भी अपनी जगह टंगा है। 'मेघदूत' भी है। जायसी का 'पद्मावत' है और बुल्लेशाह का 'बारहमासा' भी है। यानी शब्द शाश्वत है। शाश्वत शब्द में ही मनुष्य भी अपनी जगह बना लेता है। 'मेघदूत' से कालिदास जीवित हैं। 'पद्मावत' से जायसी।

कितना अद्भुत है यह सोच पाना कि धरती के जिस टुकड़े पर बैठ मैं बारिश के सौंदर्य-रस का पान कर रही हूं, हजारों साल पहले धरती के इसी टुकड़े पर किसी ने ऐसे ही आनंद लिया होगा... तब मैं नहीं थी। हजारों साल बाद भी यहीं बैठ कोई फिर से बादल-राग सुनेगा, तब भी मैं नहीं होऊंगी। क्या पता तब भी मैं थी और हजार साल बाद भी मैं होऊं! आखिर शाश्वत होने से कोई तो रिश्ता होगा नश्वर मनुष्य का। चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि बादल जरूर उपजेंगे, तब भी इसी आसमान से!

पर उपदेश कुशल

बीती अठारह अगस्त को अमेरिका ने जमीन से जमीन पर 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली टामहॉक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके विश्व को एक और अनावश्यक युद्धक सामान बनाने के लिए मजबूर करने वाला काम किया है। यही अमेरिका 2 अगस्त 2019 को इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी यानी आइएनएफ संधि का पुनः नवीनीकरण करने से रूस और चीन पर यह आरोप लगाते हुए कि, 'ये दोनों देश इस संधि के बावजूद नई आधुनिकतम मिसाइल विकसित कर रहे हैं', पीछे हट गया था। पर रूसी उप विदेश मंत्री के अनुसार अमेरिका खुद इस संधि की आड़ में इस मिसाइल को पहले से बनाने की तैयारी में लगा था।

दरअसल, अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वह चाहता है कि दुनिया के अन्य देश मसलन, भारत, उत्तर कोरिया, ईरान आदि अपनी रक्षा के लिए भी हथियार न तो विकसित करें और न ही उन्हें न बनाएं। इसके लिए वह उन देशों पर तरह-तरह की आर्थिक दंडात्मक कार्रवाइयां करता रहता है, लेकिन खुद अत्यंत घातक हथियारों का भारी भरकम जखीरा रखने के बावजूद आएदिन नए-नए हथियार बनाता रहता है। कितना अच्छा होता कि दुनिया के सभी देश हथियारों पर होने वाले अकूत धन को मानव कल्याण के कार्यों यथा गरीबी हटाने, भूख से निजात दिलाने, अशिक्षा दूर करने, अस्पतालों की दशा सुधारने, पशु-पक्षियों सहित पर्यावरण को बचाने में लगाते और विश्व के सभी लोग शांति से अपना जीवन गुजारते! पर अफसोस की बात है कि अमेरिका जैसे देश दुनिया को चैन से नहीं जीने देते। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी अमेरिका की जेबी संस्थाएं बन कर रह गई हैं। इस भयावह स्थिति का विकल्प ढूंढ़ा ही जाना चाहिए।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश*

शाबाश सिंधू

एक बार फिर दुनिया हिंदुस्तान के हुनर का लोहा मान रही है। यह कारनामा करने वाली हिंदुस्तान की बेटी और कोई नहीं सबकी चहेती खिलाड़ी पीवी सिंधू है। सिंधू को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली देश की पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि भारत में किसी भी खेल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने विरोधी को बड़ी आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर किया तो दुनिया कह उठी शाबाश सिंधू! बैडमिंटन के ऊंचे आकाश पर चमकते इस सितारे पर देश को गर्व क्यों न हो! कड़ी मेहनत और लगन से ही सिंधू ने यह ऊंचाई पाई है। यह जीत अपनी मां को समर्पित कर सिंधू ने नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। देश को अपनी इस होनहार खिलाड़ी से बार-बार ऐसी जीत की उम्मीद रहेगी। सिंधू सहित उनके प्रशिक्षक, परिजन और प्रशंसकों को अनेक बधाइयां!

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

उनके मानवीय गुण

अरुण जेटलीजी के अनेक ऐसे मानवीय गुण हैं जो लोगों को अपनाने चाहिए। वे पैसे वाले थे, भारत के सबसे महंगे वकीलों में थे। पैसे वाले और भी बहुत लोग हैं पर उनमें कितने हैं जो अपने नौकरों, ड्राइवर, रसोइया, टाइपिस्ट आदि को मकान खरीद कर देते हैं? उनके बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनमें अपने खुद के बच्चे पढ़ते हैं? जेटलीजी ने हमेशा ऐसा किया। यही नहीं, यदि किसी नौकर का बच्चा होनहार होता था और विदेश में पढ़ना चाहता था, तो जेटलीजी ने उसे विदेश भी भेजा। और भी कई लोगों की उन्होंने आर्थिक मदद की और करके भूल गए। कितनों के लिए वे फरिश्ते जैसे सिद्ध हुए, और इन बातों का अपने जीवनकाल में कभी प्रचार नहीं किया। उनकी स्मृति सदा नमन।

● *अजय मित्तल, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

पुनर्पूंजीकरण के बजाय

हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 70 हजार करोड़ रुपए से बैंकों के 'पुनर्पूंजीकरण' का फैसला किया है। यह सही है कि बैंकिंग क्षेत्र गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) के संकट का सामना कर रहा है और उसे सरकार से राहत की दरकार है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब तक? सरकार के लिए अब जरूरी हो गया हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से अपनी शेयरधारिता कम करे और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाए ताकि बैंकों का सफल परिचालन, क्रियान्वयन हो। उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्ति मिले और वे अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। यही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की नींव है। मौजूदा दौर में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार बार-बार करदाताओं के पैसों से बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की नीति को त्यागे। वह अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि कर जनमानस की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को बढ़ाए और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों पर बल दे ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

● *कपिल एम वड़ियार, पाली, राजस्थान*

मुफ्त का फंदा

अपने देश में चुनाव के पहले नेताओं द्वारा मुफ्त में कुछ देने की घोषणा करने का चलन रहा है। चूंकि जनता मुफ्त में कोई भी वस्तु पाना पसंद करती है तो नेता भी इस बात का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर नेता वोट पाने के लिए जनता को मुफ्त की चीजों का लालच देते रहे हैं। किसी नेता ने मुफ्त लैपटॉप बांटे तो किसी ने बिजली-पानी मुफ्त कर दिए। हाल ही में एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने तो साल में 72000 रुपए देने की घोषणा कर डाली थी। अभी-अभी एक मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त सफर का लालच दिया है। समझने वाली बात है कि कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती, उसकी अपनी कीमत होती है। ये नेता अपनी जेब से तो कुछ देते नहीं। इसका खमियाजा आम करदाता को भुगतना पड़ता है। तो इन नेताओं को क्या हक है कि आम आदमी से वसूले गए करों के पैसे को यों लुटा दें? दूसरी बात, मुफ्त में पाने की आदत से तो लोग नाकारा ही बनेंगे और यह आदत देश को पीछे धकेलने का काम करेगी। इसलिए कानून बनाया जाए कि कोई भी नेता जनता को मुफ्त का लालच न दे। वोट चाहिए तो नेता काम करें, देश को मजबूत करें।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com